आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *RJ/JPC/ FN-11/2008-10*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 7 | अंक 3 | *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* | जयपुर, 10 फरवरी, 2010 | पृष्ठ-8 | मूल्य : 5 रु.

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

न्यायपालिका में भी जड़ें जमा ली हैं, काली भेड़ों ने : आखिर कैसे हो देवदूतों में यमदूतों की पहचान

gekjs ns'k esa U;k;k/kh'kksa dks bZ'oj ds leku ntkZ gkfly gS vkSj mUgsa U;k; ds nsonwr ds :i esa ekuk tkrk gS mlh rjg tSls vxzst vius U;k;k/kh'kksa dks ykWMZ'khi ds uke ls lEcksf/kr djrs gSa fdUrq bu U;k;k/kh'kksa esa ;fn dkyh HkM+s vFkkZr Hkz"V 0;fDr izos'k dj tk;s vkSj og nsonwr dh txg ;enwr cudj iwjs lekt dks u"V o Hkz"V djus esa viuk ;kxnku djs rks fdlh Hkh jk"Vª ds fy;s ;s ok fdruk ?kkrd lkfcr gks ldrk gS bl ij fopkj fd;k tkuk pkfg;sA lqizhe dksVZ ds iwoZ eq[; U;k;k/kh'k tfLV'k Hkk:pk us viuk ,d 0;Dr0; esa dgk Fkk fd vkt Hkh mPprj U;k;ky;ksa ds 80 izfr'kr U;k;k/kh'k bZekunkj gSA ehfM;k us bls vxz rjg ls iLrqr djrs gq;s dgk fd eq[; U;k;k/kh'k dk dFku gS fd mPprj U;k;ikfydk esa 20 izfr'kr tt Hkz"V gSA bl cgl ds 'kq: gksus ds i'pkr vxz vxz lxBuksa us viuk viuk rjhds ls U;k;ikfydk esa Hkz"Vkpkj ds izfr'kr dks c<rs c<rs 80 izfr'kr rd crk fn;k vFkkZr mudk dguk gS fd dsoy 20 izfr'kr gh ,sls tt gSa tks bZekunkj ,oa lR;fu"B gSa tks lqizhe dksVZ ds vU; tt tks u Hkh le; le; ij ;g Lohdkj fd;k fd U;k;ikfydk Hkh Hkz"Vkpkj ls eqDr ugha gS vkSj U;k;ewfrZ esa Hkh dN dkyh HkM+s ?kql vkbZ gSA ,slh fLFkfr esa tc dkbZ 0;fDr U;k; dh ryk'k esa dkbZ okn ydj U;k;ky; esa mifLFkr gksrk gS rks og dSls irk djs fd lquokbZ djus okyk U;k;k/kh'k nsonwr gS ;k ;enwr \ ;k fQj og U;k;k/kh'k dkyh HkM+ dh lKk esa vkrk gS \ bl ckr dk izek.k rks rHkh feyrk ldrk gS tc ml U;k;k/kh'k ds Q+Sly dh LoPN Nfo ds fdlh U;k;k/kh'k ls lfe{kk djkbZ tkos vkSj lfe{kk ds ckn ;fn ;g ik;k rFkkdfFkr lrdrk foHkkx dk uke fn;k x;k gS tks U;k;k/kh'kksa ds fo:) Hkz"Vkpkj dh f'kdk;rksa dh tkp djrk gS vkSj le; le; ij mu U;k;k/kh'kksa dks U;kf;d lsok vkSj gVkdj ?kj fHktokus dh 0;oLFkk Hkh djrk gSA fdUrq dguk gS fd tks Hkh U;k;k/kh'k Hkz"V ik;k tk;s mls ns'k ds dkuu ds eqrkfcd lt+k nh tkuh pkfg;sA ,slk ;fn ugha gksrk gS rks dkbZ Hkh U;k;k/kh'k viuk dN gh dk;Zdky esa djksMksa :i;s bdV~Bk dj ldrk gS vkSj lsok fuofr ds

Hkz"V U;k;k/kh'k inkUufr ls ofpr gksa

ljdkj ,d ,slk dkuu ykus ij fopkj dj jgh gS ftlds rgr ekeyh Hkz"Vkpkj esa fylr ;k lfnX/k Nfo okys U;k;k/kh'k mPprj vnkyrksa esa inkUufr ls ofpr jg tk,xsA dkuwu; fo/k ,oa U;k; ea=h ,e ohjIik ekbyh us dgk fd ljdkj U;k;k/kh'kksa dh ftEesnkjh r; djus vkSj U;k;ikfydk esa ikjnf'krk ykus ds fy, lafo/kku esa cnyko ij fopkj dj jgh gS ftlds rgr ,d laln dk ctV l= esa ,d fo/ks;d yk,xh] ftles ,sls iko/kku fd;s tk,xs ftlds rgr ,sls U;k;k/kh'kksa dks inkUufr ds volj ugha fn;s tk,xs] ftudh vkSj 'kd dh lqbZ FkkeMh lh Hkh ?kwerh utj vk,xhA

ekbyh us lkbcj dkuu fØ;kUo;u dk;Øe esa vyx ls lokn nkrkvksa ls dgk fd lcf/kr dkuu esa U;k;k/kh'kksa ds f[kykQ egkfHk;kx dh izfØ;k esa cnyko ij Hkh fopkj fd;k tk,xkA mUgksaus vxys ctV l= esa efgyk vkj{k.k fo/ks;d Hkh ljdkj dh izkFkfedrk ds rkSj ij bls ikl fd;s tkus dk nkok fd;kA

;g iwNs tkus ij fd mPprj U;k;ky; ds eq[; U;k;k/kh'k dk;ky; dks lwpuk ds vf/kdkj ¼vkjVhvkbZ½ dkuu ds nk;js esa ykus ij cgl djus dh ljdkj dh dkbZ ;kstuk gS] ekbyh us dgk fd ljdkj bl cgl esa fopkj vo';d dj jgh gS ylfdu blls fnYyh mPp U;k;ky; ds QSly ls tkM+dj ugha ns[kk tkuk pkfg,A mUgksaus dgk fd ljdkj pkgrh gS fd lhtsvkbZ dk;ky; ij vkjVhvkbZ dkuu ykxw gksus dk vuqdj.k djs yfdu vHkh ;g ikjfEHkd pj.k esa gh gS vkSj bl ij rRdky T;knk dN ugha dgk tk ldrkA

mlh rjg vkSj U;k;ikfydk esa Hkz"Vkpkj ds fo:) lq?kkj djus okys lxBuksa dk dguk gS fd Hkz"V U;k;k/kh'kksa ds fo:) ns'k ds dkuu ds eqrkfcd dk;Zokgh gksuh pkfg;s vkSj Hkz"V ik;s tkus ij mudh lkjh lEifRr jktlkr.k dk n.M ugha ekuk tkuk pkfg;sA ;g lxBu bl ckr ij t+ksj nsrs gS fd tks U;k;k/kh'k inkUufr ij Hkz"Vkpkj ds dkj.k lqizhedksVZ dk tt ugha cuk;k tk ldrk og U;k;k/kh'k fdlh mPp U;k;ky; dk U;k;k/kh'k ;k eq[; U;k;k/kh'k dSls cuk jg ldrk gS\ blh rjg tks U;k;k/kh'k vk/kk ls Hkz"V ik;k tkrk gS og cEcbZ bZekunkj dSls ekuk tk ldrk gS \ lxBuksa dk dguk gS fd ljdkj U;k;k/kh'kksa dh tkpcng ljfuf'pr djs vkSj Hkz"V ik;s tkus ij mudh fo:) vko';d dk;Zokgh djA

tk; fd ekuuh; U;k;k/kh'k Hkz"V gS vkSj og mudh Hkwfedk esa dkyh HkM+ gS tks fdlh u fdlh frdMe ls U;k; r= esa izos'k ikxbZ gS rks mlh rRdky ckgj fd;k tkuk pkfg;sA orZeku 0;oLFkk esa v/khuLFk vnkyrksa ds U;k;k/kh'kksa ij rks tkp dk ,d r= gS ftls vk'p;Z ;g gS fd Hkz"V ik;s tkus ds i'pkr Hkh D;k lsokfuofr n.M eku fy;k tkrk\ nlljs lLFkku tSls dk;Zikfydk o fo/kkf;dk dk ykxw U;k;r= }kjk Hkz"V 0;fDr;ksa dks fcuk fdlh n.M ds dsoy lsok fuofr dj nsuk ;k ;kfLr ugha ekurA mudk i'pkr c[kkLr viuk nkf;Ro 0;ok; dj ldrk gSA ;g fLFkfr u dsoy fpUrktud gS cfYd Hkk;kog gSA vHkh gky gh tiqj esa QksjeQksj T;qfMf'k;y ,dkmUVfcyhVh ds lnL; Jh iue pn HkaMkjh us jktLFkku mPp U;k;ky; ds ,d U;k;k/kh'k vkj lh xks/kh ¼vc lsokfuofRr½ ds fo:) eq[; U;k;k/kh'k jktLFkku mPp U;k;ky; dks ,d Kkiu nsdj ekax dh fd mudk dk;Zdky esa lquok;s x;s fu.k;ksa dh leh{kk dh tk; ,oa mudk }kjk U;kf;d lgk;d inksa ij dh xbZ fu;qfDr;ksa dh Hkh tkp djkbZ tk;s D;ksafd mudh fu.k;ksa dh lhchvkbZ ls tkp djkbZ tk;A gekjs ns'k esa Hkz"Vkpkj dk vFkZ dsoy vkfFkZd :i ls gh ij[kk tk jgk gS tcfd U;k;k/kh'k ;fn fdlh 0;fDr ds izHkko] nckoa ;k izyksHku esa vkdj dkbZ fu.k; ikfjr djrk gS rks og Hkh fdlh vkfFkZd Hkz"Vkpkj ls de ugha vkdk tk ldrkA ik;% ;g ns[kk x;k gS fd tks U;k;k/kh'k viuh lsokdky esa urkvksa ds fgrks dk l;{k.k djrs gS lsokfuofRr ds ckn mUgsa urkvksa }kjk mUgsa mPp dj gks dj mPp in iznku djus esa lQy gks tkrs gSA dbZ lxBuksa us U;k;ikfydk esa rth ls iui jgs Hkz"Vkpkj dks jksdus ds fy;s ,d lq>ko ;g Hkh fn;k gS fd lsokfuofRr ds ckn tt dks fdlh inksa dks in ugha fn;k tk;A okLrfodrk ;g gS fd ljdkj ;kfu urkx.k ,oa gekjs U;k;k/kh'k nkuksa gh orZeku 0;oLFkk ds i{k/kj gS vkSj nkuksa gh blesa fdlh Hkh izdkj lq/kkj ds fy;s LoPN eu ls rS;kj ugha gSA urk ykxksa }kjk tks Hkz"Vkpkj dj dkyh dekbZ bdV~Bh dh tk jgh gS vkSj mls fLoLl cSadksa esa j[kk tk jgk gS ftlds fo:)

(शेष पृष्ठ दो पर)

सम्पादकीय ....

विचाराधीन कैदियों की रिहाई एवं न्यायिक अभिरक्षा

n's dh vnkyrks e yfEcr lk<s rhu djksM+ edneks e ls vijkf/kd edneks dh l[;k nks djksM+ ls mij gSA ns'k dh tsyks e rhu yk[k ls vf/kd dSnh QSys gS bu tsyks e lyk[kks ds fiNs tsyks dh {kerk ek= nks yk[k dSfn;ks ds j[kus dh gh gSA ns'k dh tsyks e dSnh tkuojks dh rjg jgrs gSA ,d ,d cSjd e {kerk ls T;knk dSnh jgrs ugh gS cfYd BsLs tkrs gSA vkSj ns'k ds ekuokf/kdkj laxBuks dh utj e oks ekuo gh ugha ekus tk jgs gSA bruk ykxks dks ,d lkFk j[kus ls fuR; Øe dh lqfo/kkvks dk D;k gky gksxk blds vnkt vklkuh ls yxk;k tk ldrk gSA

bl ds vykok cfn;ks e dqN cnh xHkhj vijk/kks ds cnh Hkh gksrs gS tks lk/kkj.k tqeZ ds vijkf/k;ks ij u doy tqeZ <gkrs gS cfYd mUgs laxhu vijk/kh cukdj U;kf;d vfHkj{kk dk vijk/k Vfuax lsUVj e cny jgs gSA gekjh ljdkjs ckj ckj lq'kk/kuks dk jkuk jkrh gS fdUrq og bl okLrfodrk dks utjvnkt dj jgh gS fd tsyks e iui jgs bl vijk/k Vfuax lsUVj ls fudyus okys lk/kkj.k dSnh laxhu vijk/kh cudj ns'k e cM+s cM+s vijk/kks dks tUe ns jgs gSA

nj vk;s n:Lr vk;s dh dgkor dks pfjrkFkZ djus ;k ljdkj dh etcjh tks Hkh gks dUnh; dkuu e=h fojlik ekbyh us fuLlng ,sls dne mBkus dk lkgl fd;k gS ftlls djhc M< yk[k cnh tsyks ls fjgk gksus dh fLFkfr e vkx;s gSA dk'k gekjh ljdkj fopkjk/khu cfn;ks ds fy;s LFkkbZ :i ls vfrfjDr dksVks dh txg tsy e gh ,slh dksVks dh LFkkiuk djs tks fopkjk/khu cfn;ks ekuokf/kdkj] tekur] ,oa vU; 0;oLFkkvks ij utj j[ks vkSj bl vijk/k Vfuax lsUVjks dk gdhdr e U;kf;d vfHkj{kk ds :i e ifjofrZr dj ldsA bl ds vykok >BsS edneks ntZ djus okys ds fo:) Hkh lDr dk;okgh djus ds iko/kku dMkbZ ls ykxw djs rkfd >BsS edneks dh l[;k de gks ifj.kke Lo:i tsyks fopkjk/khu cfn;ks dh l[;k Hkh de gksA gekjs ns'k dk ;g nHkkZX; gS fd ge cheknkjh dh bykt djus dk i;kl djrs gS fdUrq fcekjh ds dkj.kks dks utjvnkt djrs gS ifj.kkeLo:i jkfx;ks vFkkZr fopkjk/khu cfn;ks l[;k viR;kf'kr :i ls c<+ jgh gS tks ns'k o lekt nkuks ds fy;s [krjs dk dkj.k cu jgh gSA

न्यायाधीशों के मुद्दे पर आरटीआई कानून में संशोधन के आसार

नई दिल्ली। न्यायाधीशों की नियुक्ति व नियुक्ति मंडल के फैसले से संबंधित सूचना के खुलासे को सूचना कानून के दायरे से मुक्त रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून में संशोधन की वकालत के मद्देनजर कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने कानून में संशोधन के संकेत दिए हैं। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि प्रस्तावित परिवर्तन इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से 'स्वतंत्र' है और इस मामले पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग विचार कर रहा है। यह विभाग ही सूचना के अधिकार कानून का कार्यान्वयन देखता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जनवरी को एक फैसले में व्यवस्था दी थी कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आता है। निर्णय में कहा गया था कि न्यायिक स्वतंत्रता न्यायाधीश का विशेषाधिकार नहीं होती बल्कि उस पर डाला गया एक दायित्व है।

मोइली ने कहा कि कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इसमें दुनिया की कई न्यायपालिकाओं की तुलना की जा रही है। लेकिन इसका दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से कोई लेना-देना नहीं है। यह उससे स्वतंत्र है। प्रस्तावित न्यायाधीश मानक एवं जवाबदेही विधेयक के बारे में एक सवाल पर मोइली ने कहा कि उच्च न्यायपालिका के सदस्य पर महाभियोग लगाने की शक्ति संसद के पास रहेगी। विधेयक में न्यायाधीशों द्वारा की जाने वाली भूलचूक से जुड़े मुद्दों का ब्योरा होगा। चुनाव प्रक्रिया में सुधार का जिक्र करते हुए मोइली ने कहा कि चुनाव में राजनीतिक दलों को सरकारी मदद देना एजेंडे का हिस्सा है। मुख्य चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों को समान शक्तियां देने के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि यह प्रस्तावित सुधारों का 'छोटा सा घटक' है। चावला के पूर्ववर्ती एन गोपालस्वामी ने मांग की थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया में समानता लाने के लिए संविधान में संशोधन के लिए लिखा है।

आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में तीन गिरफ्तार

पुणे। पुणे के पास तालेगांव में आरटीआई कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सतीश शेट्टी की हत्या के मामले में एक वकील समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक शेट्टी ने मावल क्षेत्र में कई भूमि घोटाले का पर्दाफाश किया गया था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूर्व में शेट्टी ने अपने ऊपर हमला करने के मामले में दभाडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। गिरफ्तार दो और लोगों में प्रमोद वाघमोरे और परशुराम तेलगू हैं। यहां से करीब 45 किलोमीटर दूर तालेगांव में दो अज्ञात बंदूकधारियों ने 13 जनवरी को शेट्टी की उस समय हत्या कर दी थी जब वे सुबह की सैर पर निकले थे।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों को मावल तालुका के वडगांव के अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में धीमी कार्रवाई के कारण पुलिस को शेट्टी के परिवार वालों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा। शेट्टी की याद में क्षेत्र के कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाई। ये संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अन्ना हजारे के साथ काम करते हैं।

वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि सतीश की हत्या करने वाले लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है। शेट्टी के परिजनों की ओर से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग का समर्थन करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारियों के वरदहस्त के बिना कोई ऐसा अपराध नहीं कर सकता। हजारे ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए काम कर रहा था। उसके खिलाफ इस तरह का अपराध करने का दुस्साहस तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण अपराधियों को नहीं मिलता। शेट्टी के करीबी रहे अरुण माने ने कहा कि सतीश की हत्या हमारी शासन प्रणाली ने की है, जो अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट रहती है। सतीश के भाई संदीप शेट्टी ने कहा कि यह आवश्यक नहीं कि आप कितना लंबा जीते हैं, बल्कि अहम यह है कि आप कैसे जीते हैं।

न्यायपालिका में ....

(पृष्ठ एक का शेष)

vke ukxfjd Hkys gh Hkze iky fd gekjk U;k;r= mu urkvks ds fo:) dk;okgh djxk vkSj fLoL cdkk e tek jk'kh okil yku dk i;kl djxk fdUrq ;g doy Hkze gh lkfcr gksxkA

ge U;k;ikfydk dk fn;s x;s fo'k"kkf/kdkjks ij u;s flj ls fopkj djuk gksxk vkSj Hkz"Vpkj dh jksdFkke ds fy;s U;k;k/kh'kks ds }kjk lqUk;s x;s fu.kZ;ks dk vihy dk vf/kdkj crkrs g;s mu fu.kZ;ks dk tkp ls nj j[kuk Hkz"Vpkj dk vkSj c<kok nsxkA fdUrq ;fn fu.kZ;ks dh leh{kk dh i)fr 'kq: gks xbZ rks mlds Hk; ls gh Hkz"Vpkj ij vdq'k yxuk 'kq: gks tk;xkA ;g dsl foMEcuk gS fd ,d ekeys dh tekur eftLVsV pkgs rks ys ldrk gS vkSj pkgs rks j) dj ldrk gS vkSj dqN le; i'pkr mij dh vnkyr mldh tekur Lohdkj dj ysrh gS\ ;s foodkf/kdkj ;k fo'k"kkf/kdkj gh Hkz"Vpkj dk mnxe LFky gS ftlds fy;s u v/khuLFk vnkyr tokcng gS vkSj u gh mPp vnkyrA ,slh fLFkfr e Hkz"Vpkj ds fy;s ftruk vklku ekxZ U;k;ikfydk dk iznku fd;k x;k gS mruk rks 'kk;n fo/kkf;dk o dk;ikfydk ds ikl Hkh ugha gSA D;kfd ok nkuks gh viu viu Lrj ij tkccng gS vkSj tkckcngh ds fy;s mUgs dV?kjs e [kMk fd;k tk ldrk gSA ,slh fLFkfr e U;k;ikfydk e c< jgs Hkz"Vpkj dk rRdky ugha jkdk x;k rks lqiheh dkVZ ds e[; U;k;k/kh'k ds dFkukuqlkj ;k rks turk cxkor djxh ;k fQj U;k;k/kh'kks dk Hkh tckcng cukuk gksxkA vkSj mUgs fo'k"kkf/kdkjks ofpr djuk gksxkA

अफसरों की नियुक्ति में हो जन भागीदारी : केजरीवाल

जब तक अफसरों की नियुक्ति में पारदर्शिता व जन भागीदारी नहीं होगी, तब तक प्रशासन में सुधार होना मुश्किल है। यह बात आरटीआई कानून बनवाने के लिए चलाई गई मुहिम में अहम् भूमिका निभाने के लिए चर्चित व मैग्सेसे अवार्ड विजेता अरविन्द केजरीवाल ने अनौपचारिक बातचीत में कही है। वह महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय में आयोजित 'स्वराज अभियान' कार्यक्रम में भाग लेने आए थे।

जब उनसे पूछा गया कि सूचना देने में कोई अफसर आनाकानी करे और मुख्य सूचना अधिकारी भी कुछ न करें, तो क्या किया जाए? इस पर उन्होंने कहा कि सरकारी अफसर तो सरकार के प्रति ही अपनी निष्ठा बनाएंगे। जब तक इनकी नियुक्ति में जन भागीदारी नहीं होगी, सुधार मुश्किल है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए आरटीआई सूचना पाने का बड़ा हथियार है, लेकिन यह सरकारी इच्छाशक्ति के अभाव में ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। अधिकारी अपनी ताकत को आम आदमी के हाथों में नहीं जाने देना चाहते। इसके लिए 'स्वराज अभियान' अपनी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने बताया कि स्वराज का सही अर्थ सही मायनों में जनतंत्र बैठकों के माध्यम से खुद करे।

स्वराज से क्या फायदा हो सकता है, यह पूछने पर उन्होंने कहा कि स्वराज आने पर देश से भ्रष्टाचार का सफाया हो जाएगा। लोगों के काम समय पर होंगे।

(शेष पृष्ठ सात पर)

विवादों का हल प्रभावी ढंग से हो : सी.जे.

जयपुर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने कहा है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की सेवा में कार्यरत अधिकारियों एवं विभिन्न वर्गों के सैनिकों के सेवा और आचरण संबंधी विभिन्न प्रकार के विवादों की सुनवाई के लिए गठित आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में विवादों का प्रभावी ढंग से निराकरण हो और इनकी क्रियान्विति भी सुनिश्चित की जाए।

बालाकृष्णन आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल शाखा जयपुर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कर रहे थे। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उपस्थित थे। यह शाखा नवम्बर 2009 से राजस्थान में शुरू हुई थी जो अभी तक उच्च न्यायालय के पुराने भवन में काम कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि ट्रिब्यूनल के लिए यह आवश्यक है कि इसके सदस्यों को पूरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो तथा इन्हें संरक्षण मिले। ट्रिब्यूनल के सदस्य मामलों का निस्तारण प्रभावी ढंग से करें और यह भी देखें कि इसकी पालना हुई या नहीं। इस ट्रिब्यूनल को कोर्ट मार्शल के खिलाफ अपील की सुनवाई की शक्ति दी गई है। ट्रिब्यूनल को मानहानि की शक्ति भी प्रदत्त की गई है। उन्होंने बताया कि सीबीआई के मामलों के निस्तारण के लिए प्रधानमंत्री से देश में 60 और न्यायालय खोलने का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में दो सीबीआई कोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि अधिकांश जनता गांव में रहती है और उन्हें शीघ्र न्याय मिले इसके लिए गांव में ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में ऐसे 45 न्यायालयों को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि जोधपुर के उच्च न्यायालय के भवन के लिए राज्य सरकार की हिस्सा राशि मिलने के साथ ही केन्द्र सरकार से इसकी राशि आवंटित करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि ट्रिब्यूनल का भवन सेना ने तीन माह की अवधि में बनाकर अपनी संकल्पबद्धता और सूझबूझ का परिचय दिया है। गहलोत ने बताया कि ट्रिब्यूनल से सेना के विभिन्न वर्गों के सैनिकों को समय पर न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल की देश में 15 शाखाएं कार्य कर रही हैं। अलग ट्रिब्यूनल बनने से मामलों का निपटारा शीघ्र हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी वर्तमान सरकार ने शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए राज्य में दो अपर सेशन न्यायालय, नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों के लिए 14 विशेष न्यायालय और जयपुर बम कांड के मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय खोले गए हैं। साथ ही ग्राम स्तर पर मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए 45 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए दो सीबीआई न्यायालयों की स्थापना जल्द की जा रही है। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था के आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए न्यायालय भवनों, अधिकारियों के आवासों के निर्माण, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कंप्यूटरीकरण के लिए धनराशि मंजूर की गई है। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के भवन निर्माण के लिए चर्चा करते हुए बालकृष्णन ने कहा कि न्यायालय का शिलान्यास तीन वर्ष पूर्व हुआ था। अभी तक यह पूरा नहीं हुआ है। इस भवन के कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के प्रयास किये जाएंगे। उदयपुर, बीकानेर और कोटा में उच्च न्यायालय की बैंच खोलने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इन जिलों में चार-पांच महीनों तक वकीलों ने हड़ताल की। उन्होंने कहा कि कुछ फैसले होते हैं जिनमें समय लगता है। यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार एवं सर्वोच्च न्यायालय को करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों सेनाओं में राजस्थान के लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही है।

यहां के जवान अपनी आन-बान और शान के लिए जाने जाते हैं। जब-जब देश पर संकट आया है राजस्थान के वीर सपूतों ने राष्ट्र के सजग प्रहरी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। सैनिकों के कल्याण के लिए हमारी सरकार कभी पीछे नहीं रही है।

करगिल के युद्ध के समय हमने सैनिकों के कल्याण के लिए सबसे बड़ा पैकेज दिया था। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला ने अपने उद्बोधन में कहा कि उच्च न्यायालयों में भारी दबाव के कारण सेना के अधिकारियों एवं सैनिकों की समस्याओं का निराकरण शीघ्र नहीं हो पाता थ। इन मामलों के त्वरित गति से निस्तारण के लिए एक न्यायोचित फोर्म की आवश्यकता थी, जिसे ट्रिब्यूनल ने पूरा किया है।

न्याय प्रणाली बिखराव के कगार पर

न्याय में देरी चिन्ता का विषय

जोधपुर। न्याय प्रणाली में देरी लगने के कारण आम आदमी के न्याय प्रणाली में विश्वास की कमी से न्यायिक प्रणाली बिखराव के कगार पर है। यह उद्‌गार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति जी.एस. सिंघवी ने इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन के राजस्थान चेप्टर के समारोह में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण मोहन की किताब जस्टिस कोर्टस एण्ड डिलेज के विमोचन के अवसर पर व्यक्त किए।

राजस्थान में अरुण मोहन की इस पुस्तक का विमोचन उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति दलवीर भंडारी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति जी.एस. सिंघवी, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति प्रकाश टाटिया और इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन के सचिव मनीष सिसोदिया इत्यादि की उपस्थिति में होटल मेपल अभय में किया गया। समारोह के अध्यक्ष भाषण में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति दलवीर भंडारी ने भी न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए बार व बेंच का सहयोग और मुकदमों की त्वरित सुनवाई पर जोर देते हुए न्यायिक प्रणाली में देरी पर गंभीर चिंता जताई। राजस्थान के मुख्य न्यायाधिपति ने आगामी एक वर्ष में राजस्थान उच्च न्यायालय से सभी पुराने लम्बित मुकदमों को निस्तारित करने का आश्वासन देते हुए युवा अधिवक्ताओं से इसमें सहभागिता निभाने का आह्वान किया। अपनी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण मोहन ने भारतीय कानूनों के पुराने हो जाने के कारण उन्हें बदलने की आवश्यकता पर बल दिया है।

सरकारी नौकरी में मुस्लिम नहीं कर सकते दूसरी शादी

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के फैसले को सही ठहराया

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के उस फैसले को सही करार दिया है, जिसमें एक मुस्लिम कर्मचारी लियाकत अली को दूसरी शादी करने की वजह से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि पहली पत्नी के रहते कोई भी सरकारी कर्मचारी दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अगर कोई लोकसेवक ऐसा करता है तो उसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त करना उचित है।

राज्य सरकार की ओर से यहां बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राज्य सरकार के विरुद्ध पुलिस कांस्टेबल लियाकत अली की विशेष अनुमति याचिका पर दिया है। जस्टिस वी.एस. सिरपुरकर और जस्टिस आफताब आलम की बैंच ने सरकार की इस दलील को मंजूर कर लिया कि राजस्थान सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल 1971 के नियम 25 (1) के अनुसार सरकारी कर्मचारी पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता।

लियाकत अली के मामले में यह दलील दी गई थी कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी फरीदा खातून से मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक लेने के बाद मकसूदा खातून से दूसरा विवाह किया। मामले की जांच में अधिकारी ने पाया कि अली ने पहली पत्नी से तलाक लिए बिना मकसूदा से दूसरा विवाह कर लिया और ऐसा करने से पहले उन्होंने सरकार से भी अनुमति नहीं ली।

इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी अमित भंडारी ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के इस प्रकरण में 25 जनवरी, 2010 को विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच के 2008 के लियाकत अली के विरुद्ध दिए फैसले को बरकरार रखा और राजस्थान सिविल सर्विसेज 1971 का संदर्भ देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी अली की बर्खास्तगी को सही ठहराया था।

फैसले के खिलाफ उतरा मुस्लिम समाज

जयपुर। दूसरी शादी करने पर एक मुस्लिम कर्मचारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के राजस्थान सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जायज ठहराए जाने के निर्णय को मुस्लिम संगठनों ने मानने से इंकार कर दिया है। राजस्थान मुस्लिम फोरम ने यहां कहा कि राज्य सरकार संविधान से हट कर कोई काम नहीं कर सकती। सरकार को मुसलमानों के लिए बने पर्सनल लॉ का भी ख्याल रखना होगा।

फोरम के संयोजक कारी मोइनुद्दीन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुस्लिम फोरम समेत पूरे देश का मुस्लिम समुदाय राजस्थान सरकार के उस फैसले का पुरजोर मुखालफत करता है, जिसमें मुस्लिम कर्मचारी लियाकत अली को दूसरी शादी करने के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। कारी मोइनुद्दीन ने बताया कि निकाह, तलाक और विरासत का मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू किया जाना था। पर, ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान के ऊपर नहीं है। ऐसे हालात में मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे। फोरम के सदस्य मो. सलीम इंजीनियर ने कहा कि सरकार को भी संविधान के मद्देनजर मुस्लिम पर्सनल लॉ का ख्याल रखना चाहिए। निकाह, तलाक और विरासत जैसे धार्मिक मामलों में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कांस्टेबल लियाकत अली का केस 1986 का है। इस मामले में करीब 25 साल बाद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पहली पत्नी के रहते हुए कोई भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यदि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा करता है तो उसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त करना उचित है। इसके मद्देनजर मुस्लिम कर्मचारी लियाकत अली को बर्खास्त किया गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय राजस्थान सर्विस रूल 1971 के नियम 25(1) का भी विरोध करता है। शरीअत में भी ऐसे मामले जायज हैं। धार्मिक मामलों में मुस्लिम

फैसल सेवा नियमों के अनुरूप

राजस्थान के कर्मचारियों के संबंध में बने सेवा नियमों में स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। इन नियमों में शादी के मामले को धर्म से संबंधित नहीं माना गया। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कामन सिविल राइट के केस में सरकार को कॉमन सिविल कोड बनाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसी दृष्टि से दिया गया है और कानूनी तौर पर उचित है।

-जस्टिस पानाचंद जैन, जयपुर

अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ मामलों की जानकारी मांगी हाईकोर्ट ने

चंडीगढ़। रुचिका के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि 'न्याय में देरी, न्याय से वंचित करती है' और इसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि आला पुलिसकर्मियों, नौकरशाहों और राजनेताओं के खिलाफ आरोपों के त्वरित निपटारे का वक्त आ गया है।

अदालत ने कहा कि रुचिका मामले में देरी के लिए न्याय प्रणाली सहित इससे जुड़े सभी पक्षों को जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और संघशासित प्रदेशों चंडीगढ़, प्रशासन को नोटिस जारी कर राजनेताओं, नौकरशाहों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इन सरकारों को इसके लिए 12 जनवरी तक का समय दिया है।

अपने आदेश से जज रंजीत सिंह ने दोनों राज्यों और चंडीगढ़ के संबंधित गृह सचिवों से पुलिस अधीक्षक तथा इस स्तर के ऊपर के अधिकारियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ लंबित मामलों के बारे में पूछा है क्योंकि अदालत न्याय देने में देरी का आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है। जज सिंह ने कहा कि रुचिका मामले में इतनी देरी से फैसला आने से बड़ी संख्या में नाराज लोग उन सभी को सजा देने की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने इस मामले में कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत उच्च पदस्थ और ऊंचे रसूख वाले लोगों को क्षमा कर देने, जांच में या सुनवाई में देरी होने का आरोप अपने ऊपर नहीं ले सकती है। जज ने कहा कि हमेशा से कुछ ऐसे पुलिस अधिकारियों, कुछ राजनेताओं और उच्च पदस्थ लोगों का नाम सुनने में आता है, जिन्होंने अपने खिलाफ मामले में जांच नहीं होने दी या मुकदमे की नतीजे तक नहीं पहुंचने दिया।

साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं न्यायाधीशों के बैंक खाते : बालाकृष्णन

नई दिल्ली। साइबर अपराधियों के निशाने पर न्यायाधीशों के बैंक खाते भी हैं और इसी वजह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की घोषित संपत्तियों के लेखे-जोखे से उनके बैंक खातों का ब्यौरा हटा दिया गया है।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने कहा कि साइबर हमले की आशंका के मद्देनजर वेबसाइट पर उपलब्ध न्यायाधीशों की सम्पत्तियों की घोषणा में से उनके बैंक खातों के नम्बर हटा दिये गये हैं।

साइबर कानून क्रियान्वयन कार्यक्रम एवं इस पर राष्ट्रीय विमर्श से संबंधित बैठक के उद्घाटन भाषण में न्यायमूर्ति बालाकृष्णन ने कहा कि साइबर अपराधी न केवल आम लोगों के व्यक्तिगत जीवन की निजता, बल्कि उनके मान-मर्यादा का भी हनन करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उन वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा सकती है जो विशेष तौर पर अश्लील तस्वीरें और नफरत के बीज बोने वाली सामग्रियां जारी करती हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सभी तरह की वेबसाइटों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा।

न्यायमूर्ति बालाकृष्णन ने कहा कि साइबर अपराधियों की धरपकड़ में सबसे महत्वपूर्ण होता है नेटवर्क सेवा प्रदाता। वेबसाइट ऑपरेटरों और इंटरनेट उपभोक्ताओं के बीच अंतर सुनिश्चित करना। उन्होंने कहा कि साइबर जगत में अपराधियों की धरपकड़ बहुत मुश्किल होती है। दरअसल आपराधिक कानून एक निश्चित सीमा क्षेत्र में लागू होते हैं, लेकिन वेब वर्ल्ड वाइड अर्थात् डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू के इस युग में दुनिया के किसी कोने में भी बैठकर वेबसाइट तैयार किये जा सकते हैं उन पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियां डाली जा सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि साइबर क्रान्ति का एक स्याह पहलू यह भी है कि बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े अपराधों के शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में सूचना प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से निपटना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर नियम अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, लेकिन इस न्यायाधिकरण से तभी सकारात्मक परिणाम हासिल हो सकते हैं जब इसमें प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञताओं के साथ-साथ न्यायिक विशेषज्ञता भी जुड़ी हो।

उन्होंने कहा कि अनेक विधि महाविद्यालयों ने अब साइबर कानून को अपने विशिष्ट पाठ्यक्रम में शामिल किया है, जो निश्चित तौर पर सुखद है, लेकिन हमारी तात्कालिक प्राथमिकता यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े मामलों से जांचकर्ता, अभियोजक और न्यायाधीश पूरी तरह परिचित हों।

इस अवसर पर केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने कहा कि भारत में साइबर कानून के क्रियान्वयन की कई समस्याएं हैं। उन्होंने साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष जांच एजेंसी की आवश्यकता जताई। मोइली ने कहा कि अमरीका, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देशों ने ऐसी एजेंसियों का गठन कर लिया है। हालांकि भारत के मामले में यह दलील दी जा सकती है कि यह मसला इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सभी राज्यों से संबंधित पुलिस विभागों में अलग से साइबर प्रकोष्ठ बने हुए हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त कुशल लोगों का अभाव है।

मानवाधिकार हनन में पुलिस आगे

16765 में से 8300 मामले पुलिस से संबंधित

जयपुर। मानवाधिकारों को लेकर जहां लोगों में जागरूकता देखी जा रही है, वहीं इन अधिकारों के हनन मामलों में पुलिस सबसे आगे है। इसका अंदाजा पिछले चार सालों में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में दर्ज हुए केसों की संख्या के आधार पर लगाया जा सकता है। आयोग में पिछले चार सालों में 16,765 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें से सबसे अधिक 8300 मामले पुलिस के खिलाफ दर्ज हैं। आयोग में दर्ज कुल मामलों में से 15521 मामलों का निपटारा किया जा चुका है और 1235 मामले पेंडिंग हैं।

महिलाओं व बच्चों के मामले भी

आयोग में महिलाओं से संबंधित 1240 मामले ऐसे भी देखे गए हैं जो महिलाओं और बच्चों के हैं। 317 सास बहू के, 182 मामले बच्चों के, 342 अल्पसंख्यकों के दर्ज किए गए। साथ ही धर्म हनन के 322 केस हैं।

पुलिस नहीं सुनती : राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में चार वर्षों के दौरान पुलिस के खिलाफ 8 हजार तीन सौ मामले दर्ज किए गए हैं। जिनमें पुलिस द्वारा जनता की शिकायत नहीं सुनने, एफआईआर दर्ज नहीं करने, किसी भी मामले में टालने की कोशिश करने और दुर्व्यवहार करने से संबंधित मामले थे। वहीं 727 मामले जेल से संबंधित दर्ज किए गए हैं।

ठेकों में सौदेबाजी पर सीवीसी ने लगाई रोक

नई दिल्ली। सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने अहम फैसला लिया है। उसने ठेका मिलने के बाद ठेके के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों से सौदेबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सीवीसी ने साफ कर दिया है कि एक बार ठेका खुल जाने के बाद किसी भी तरह की सौदेबाजी नहीं होगी और सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को ही ठेका मिलेगा। इसी तरह उसने सरकारी सामानों की बिक्री में भी सौदेबाजी पर रोक लगा दी है।

सीवीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अधिकांश मामलों में ठेका खुलने के बाद हुई सौदेबाजी में भ्रष्टाचार की शिकायतें आयोग को मिलती रही है। इसी कारण इस सौदेबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ विभाग ठेकों के संबंध में सीवीसी के 2007 में जारी सर्कुलर की गलत व्याख्या करके इसका दुरुपयोग कर रहे थे। इसके तहत संबंधित विभाग सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी से (एल-1) से तो सौदेबाजी बंद कर देता है, लेकिन दूसरे (एल-2) और तीसरे नंबर पर (एल-3) पर बोली लगाने वाली कंपनियों से सौदेबाजी कर ठेका इनमें से किसी एक कंपनी को दे देता था। जाहिर है इस सौदेबाजी में भ्रष्टाचार की आशंका काफी ज्यादा होती थी। सीवीसी ने अब साफ कर दिया है कि ठेका खुलने के बाद इसे सिर्फ एल-1 कंपनी को ही दिया जाएगा और एल-2 व एल-3 कंपनी से भी कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी। इसी तरह से सरकारी सामान को बेचने के मामले में भी सीवीसी ने सौदेबाजी पर रोक लगा दी है। उसने साफ कर दिया है कि इस मामले में सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी को ही सामान बेचा जाए और इसके बाद किसी खरीददार से कोई सौदेबाजी नहीं की जाए। सीवीसी का नया सर्कूलर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा सचिवालय समेत केन्द्र सरकार सभी सरकारी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। इस नए सर्कूलर के बारे में सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को भी सूचित कर दिया गया है।

फैसले के खिलाफ ...

(पृष्ठ दो का शेष)

पर्सनल ला लागू किया जाना चाहिए। राजस्थान सर्विस रूल संविधान के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से पूरे मुस्लिम समुदाय को आघात पहुंचा है।

उन्होंने कहा कि आजादी के वक्त सरकारी नौकरी में 30 फीसदी मुस्लिम थे जो मौजूदा दौर में घटकर इनकी संख्या 3 फीसदी रह गई। ऐसे संजीदा मामलों में सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक आजादी की पुर्नसमीक्षा होनी चाहिए। इस मौके पर फोरम के सदस्य अब्दुल लतीफ, एडवोकेट एम नकवी व इमामुद्दीन ने कहा कि मुस्लिम समुदाय आल इंडिया पर्सनल लॉ के साथ है।

क्या था फैसला : राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राज्य सरकार के विरुद्ध पुलिस कांस्टेबल लियाकत अली की विशेष अनुमति याचिका पर दिया है। जस्टिस वी.एस. सिरपुरकर और जस्टिस आफताब आलम की बैंच ने सरकार की इस दलील को मंजूर कर लिया कि राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल 1971 के नियम 25(1) के मुताबिक सरकारी कर्मचारी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता। लियाकत अली के मामले में यह दलील दी गई थी कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी फरीदा खातून से दूसरा विवाह किया। मामले में जांच अधिकारी ने पाया कि अली ने पहली पत्नी से तलाक लिए बिना मकसूदा से दूसरा विवाह कर लिया। उन्होंने सरकार से भी अनुमति नहीं ली। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी अली की बर्खास्तगी को सही ठहराया है।

लोक सम्पत्ति संरक्षण समिति ने मास्टर प्लान 2025 पर जारी किया ज्ञापन

समिति ने जयपुर विकास आयुक्त एवं मुख्य नगर नियोजक को एक विस्तृत ज्ञापन में कहा है कि जयपुर मास्टर प्लान 2025 पर सुझाव व आपत्ति, प्रदेश के कस्बों-शहरों के मास्टर प्लान कैसे हो?

समिति का कथन है कि 2011 के प्लान को लागू करते समय की गई गलतियां जो 2025 में भी दोहराई गई हैं-

(1) (क) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 (1) (2) (3) (4) की व्याख्या व्यापक लोकहित-हैरिटेज संरक्षण/वर्डसिटी मानक/ पर्यावरण संरक्षण/ भू-जल संरक्षण के हित में की गई है। यहां तक कि नगरीय विकास विभाग के निर्देशन में महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय में मास्टर प्लान व्यतिक्रम में प्रस्थापना दी कि राज्य को किसी भी स्तर पर किसी भी सीमा तक जयपुर मास्टर प्लान 2011 में परिवर्तन का सम्पूर्ण अधिकार है जो स्वीकार नहीं है। इस प्रकार अधिनियम में प्रयुक्त शब्दावली व शब्दावली का अर्न्तनिहित भाव के विपरीत राज्य ने आचरण किया, प्लान में मनमाना परिवर्तन किया, निम्न मुद्दों की सम्पूर्ण उपेक्षा की जो प्रस्तुत है-

(A) What is meant by material alteration as per sub-section (1) of section 25 of Jaipur Development Authority Act 1982- प्राधिकरण ने जानबूझकर व्याख्या नहीं की व 3000 से अधिक उपान्तरण 2011 के प्लान में किये, ईको जोन नष्ट किया, 2025 के प्लान में भी Control Measures में इन्हें स्पष्ट नहीं किया गया, गलती को सुधारा नहीं गया है। उत्तर दे ऐसा क्यों किया गया?

(B) What is the basic character of Master Plan 2011?- मास्टर प्लान को लागू करने वाली एजेन्सी ने प्लान के मूल चरित्र को समझा ही नहीं है, यद्यपि 2011 को प्लान बनाने वाली टीम ने एक सुन्दर प्लान प्रस्तुत किया था, 2025 के प्लान में पुन: गलती को दोहराया गया है। नगरीय विकास विभाग/नगरीय विकास मंत्री की मनमानी-मौखिक निर्देशों को कौन रोकेगा? कंट्रोल मैजर्स, 2025 के प्लान में अस्पष्ट है। सूचित करें दुबारा गलती नहीं दोहराई जायेगी।

(C) What should be the equilibrium between the population and construction as per sub-section (1) of Section 25? - प्लान को लागू करने वालों ने प्रश्न की सम्पूर्ण उपेक्षा की। 2025 में भी कमी छोड़ दी गई है। उत्तर दे संतुलन कैसे बनाया जायेगा।

(D) Whether a residential colony can be converted in the commercial site, if yes at what extent? - प्रश्न पर विचार नहीं किया - 2025 के प्लान में भी कमी छोड़ दी गई है। स्थिति स्पष्ट कर सूचना दे।

(E) Whether the ecological zone is needed to have @ 9 Sq. Meter per person as per law, decleared by the Apex Court in M.C. Methta V/s Union of India - 2025 के प्लान में प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है। कारण बताये।

(देखें पृष्ठ 7 पैरा 2.3 (2) Recreation and Socio cultural facilities - प्रश्नगत सूची में पोस्ट ऑफिस - सामुदायिक केन्द्र - छोटे-बड़े प्ले ग्राउण्ड आदि सम्मिलित नहीं किये गये), सम्मिलित करें।

(F) Whether the Zonal Plan Under section 22 of the Act is essential in order to identify the basic amenities and further sub division into the ward/sector? - जोनल प्लान साथ-साथ नहीं बनाया व जोनल प्लान को नगर निगम के वार्ड अनुसार सेक्टर में विभाजित नहीं किया है, यह कमी 2011 के प्लान में थी व 2025 में भी छोड़ दी गई है। जोनल प्लान के साथ वार्ड/सेक्टर प्लान बनाये व सार्वजनिक करें।

(G) Whether the charagah is a part of amenities, ecology, vegetation or the land bank is not clarified judiciously - यह कमी 2011 के प्लान में थी व 2025 में भी रख छोड़ी है। चारागाहों की स्थिति स्पष्ट करें।

(H) Whether the utility of farm Houses and concept into the Plan is in the Interest of Community/Jaipur City, particularly destroying agriculture fabric and mis-using ground water in the name of eco friendly house - इस प्रकरण का उत्तर प्लान 2011 में नहीं दिया व 2025 में भी नहीं दिया गया है। विधि व कानून के शासन के नाम पर अचल सम्पत्ति हथियाना है। प्लान में फार्महाउस विचार हटाया जाये।

(I) When there are hundreds of Industrial Plots are lying vacant in industrial area of Jaipur region and District then what is the necessity to destroy fertile land and ecological zone, providing sufficient ground water to city. - इस प्रश्न का उत्तर 2011 के प्लान में नहीं दिया गया है व 2025 में भी नहीं दिया है। इंडस्ट्री के साथ संस्थानिक क्षेत्र नहीं रखें एवं ईको जोन में कोई संस्था नहीं रखें क्षेत्र खाली रहे।

(J) जब भी शहरों का मास्टर प्लान बनता है, भू आकृति संरचना (टोपोग्राफी) भृगर्भीय संरचना Geology, hydrology, vegetation, natural characteristics का अध्ययन किया जाता है व भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। 2011 के प्लान में भी ऐसा ही किया गया व 2025 में भी किया गया है, परन्तु प्लान को लागू करने वाली एजेन्सी प्रश्नगत मानक का उल्लंघन ऊपरी निर्देशों व कहीं-कहीं स्वयं की पहल पर करती है, करती रही है व आगे भी करेगी। इस कमी को 2025 के प्लान में दूर नहीं किया गया है। भूमि वर्गीकरण का सम्मान आदर सुनिश्चित हो। (देखें पृष्ठ 58, वोल्यूम द्वितीय, पैरा 10 - Planning, Policies and Principles)

कमी जिनको छोड़ दिया गया है

(i) नदी, नाला, तालाब, बावड़ी, कुंआ, कैचमेन्ट एरिया का निर्धारण - सीमांकन एवं नदी-नाला का लो लाईन एरिया (H.F.L.) सीमा व वे विषय जिका उल्लेख कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में उल्लेख है, नदी-नालों में खातेदारी नहीं दी जायेगी, यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि सुरक्षा के उपाय क्या होंगे? अतिक्रमणों से बचाव कौन-कैसे करेगा? सीमांकन कौन करेगा? अस्पष्ट छोड़ दिया गया है। प्लान में स्पष्ट उल्लेख हो, नागरिकों के प्रस्ताव पर सम्पूर्ण अमल हो।

देखें प्रस्तावित प्लान 2025 खण्ड द्वितीय, पृष्ठ 23 6.5 (2) व पेज 33 Water Requirement/ Water bodies.

(ii) प्राधिकरण भवन विनिमय 2000 व नगर पालिका भवन विनियम 1970 में उस प्रावधान को सम्मिलित करने की अनुशंसा नहीं की गई है कि किसी भी नदी, नाले, बावड़ी, कुआ, जोहड़ की सीमा से 6 मीटर दूरी तक नो कंस्ट्रक्शन जोन होगा, चार गली छोड़ दी गई है, 2011 के प्लान की दुर्दशा जिस प्रकार हुई - 2025 की भी होगी। पानी का संकट भू-माफियाओं के निर्देश पर उनके हितों के संरक्षण के लिए कर दिया गया है। प्लान में 6 मीटर दूरी छोड़ी जाये।

(iii) हमारा प्रदेश सैमी एरिड जोन में आता है, अत: चम्बल नदी को छोड़कर कोई भी बारहमासी नदी प्रदेश में नहीं है, इस तथ्य को जानकर कि हमें भूजल का अधिकतम संरक्षण करना है, वर्षाजल पुनर्भरण करना है, वे नदियां जैसे ढूढ बांडी, द्रव्यवती (अमानीशाह नाला), बाण गंगा, कूकस बांध क्षेत्र, रामगढ़ बांध क्षेत्र, ईशरदा बांध क्षेत्र आदि की सहायक नदी-नालों-कैचमेन्ट एरिया का सीमांकन जो 2011 के प्लान में ईको जोन है व 2025 में भी है, के सीमांकन-खसरा नक्शों में चिन्हीकरण- नो कंसट्रक्शन जोन के प्रावधानों को सुनिश्चित करने का उल्लेख 2025 के प्लान में नहीं किया गया है। इस चूक की बड़ी कीमत चुकानी होगी। सीमांकन व नो कंसट्रक्शन जोन कौन करेगा - स्पष्ट अंकन हो।

(iv) पैरा 10, Vol. (II), Page 52, Serial 28 में इशारा किया गया है कि - To review Rules and Regulations within Jaipur Region that are contradictory to planned development and promote efficient arrangements of Jaipur Region. -हमारा स्पष्ट कथन है नगरीय विकास विभाग इस टिप्पणी - अनुशंसा को कभी भी लागू नहीं करेगा क्योंकि चुनाव कोष के लिए अगर राशि एकत्रित करनी है तो चोर गली को छोड़ना आवश्यक है, जहां से चोरी की जा सके। प्लान में स्पष्ट अंकन हो - कौन क्या बदलाव करेगा?

(v) 2011 के प्लान में जमुवारामगढ़, अचरोल, गोनेर, कूकस (सभी का बड़ा हिस्सा) ईको जोन था परन्तु प्राधिकरण के 56 हजार लैण्ड बैंक दस्तावेज में इन क्षेत्रों में संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है, जो शहर के पर्यावरण को नष्ट करने का प्रकल्प है। चूंकि 2025 के प्लान के अनुसार जोनल प्लान अभी नहीं बने हैं, व वार्ड/सेक्टर प्लान भी नहीं बने हैं, इसलिये पूर्व निर्धारित ईको जोन में क्या भू-उपयोग दिखाया गया है, स्पष्ट नहीं है। लैण्ड बैंक अवधारणा-ईको जोन में प्रस्तावित संस्थानिक-शैक्षणिक क्षेत्र सम्पूर्ण रूप में हटाया जाये। (देखें पेज 58 - क्रमांक 28)

(L) कि जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे नम्बर - 8 अचरोल, मनोहरपुर के मध्य में इंस्टीट्यूशनल एरिया विकसित करने का प्रस्ताव ईको जोन नष्ट करने का प्रस्ताव है, इस क्षेत्र में भू जल 50 मीटर पर स्थित है जबकि बगरू इण्डस्ट्रियल एरिया में भू-जल 250 से 300 मीटर नीचे है, सभी संस्थायें भू-आवंटन अचरोल, कूकस, जमुवारामगढ़ में करवाना चाहती है। कहा जा रहा है औद्योगिक विकास करना है, उद्योग-संस्थायें आयेंगी तभी रोजगार बढ़ेगा। जबकि जयपुर शहर की भविष्य की पानी की आवश्यकता इसी क्षेत्र से पूरी होनी है। इस कारण क्षेत्र की टोपोग्राफी-हाइड्रोलोजी, भू-जल पुनर्भरण व भू-जल संरक्षण के लिए उपयुक्त है, पहाड़ी क्षेत्र है, वन क्षेत्र विकसित किया जा सकता है। उपेक्षा की बड़ी कीमत चुकाने के लिए हमें तैयार रहना होगा। अत: प्रश्नगत क्षेत्र को सम्पूर्णता में ईको जोन में रखा जाये - पानी जरूरी है, इंडस्ट्री - संस्थायें जरूरी नहीं हैं।

(देखें पेज 20, पैरा 6 (2) Vol. II प्रस्तावित प्लान 2025 व पेज 33 पर जी.एस.आई. की अनुशंसा (वॉटर बॉडी))

(क्रमश:)

आरक्षण की राजनीति

संविधान में पहला संशोधन आरक्षण के लिए हुए और अभी भी इस मसले पर बहुत कुछ है अनसुलझा

आरक्षण को लेकर बहस संविधान बनते ही शुरू हो गई थी। क्या आपको मालूम है कि पहला संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित था? आरक्षण से। तब से आज तक देश इस बहस में उलझा है कि आरक्षण समानता लाने का नुस्खा है या असमानता की वजह? अदालतें और सरकारें अपनी-अपनी तरह से इसे परिभाषित करती चली आ रही हैं। शुरूआत अनुसूचितों को आरक्षण से हुई थी, मगर बहस पिछड़े वर्ग से होती हुई धार्मिक आधार पर आरक्षण तक पहुंच गई है। आज आरक्षण नौकरी से निकलकर शिक्षा तक में समा गया है। कई संविधान संशोधन इसके नाम हैं, न्यायालय भी दसियों बार व्याख्या कर चुका है। इसके बावजूद बुनियादी उलझनें जस की तस हैं।

बहस आरक्षण देने या न देने, किसे देने और किसे न देने, कितना देने और कब तक देने से लेकर किन क्षेत्रों में देने तक, हर तरह की है। भरपूर राजनीति है और सबके अपने अर्थ हैं। 1950 में जब अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार में नुमाइंदगी दी गई तो मद्रास हाई कोर्ट ने आरक्षण देने वाले प्रावधान को गलत ठहराया। फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वहां याचिका खारिज हो गई। तब सरकार ने 1951 में पहला संविधान संशोधन कर आरक्षण को मजबूत कर दिया। यह पहला मौका था जब आरक्षण अदालत से हार कर फिर सरकार के पास कानून की मजबूती लेने पहुंचा था। यह सब संविधान लागू होने के सिर्फ 15 महीने के अन्दर हो गया। अब अनुसूचित जाति-जनजाति का आरक्षण पूरी तरह संवैधानिक था। लेकिन सीमा का विवाद कायम था। 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता। लगभग पूरे देश ने कोर्ट का आदेश स्वीकार कर लिया, लेकिन तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण लागू है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। राजस्थान में भी हाल में ही गुर्जरों को 14 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण दे कर सीमा 68 फीसदी पहुंचा दी गई है। आरक्षण की बसह सीमा के दायरे से निकल कर दायरा बढ़ाने तक यानी अन्य वर्गों को शामिल करने तक पहुंची। मंडल का दौर अविस्मरणीय है। देश जाति के आधार पर भिड़ गया।

सुप्रीम कोर्ट की संविधानपीठ ने दलित अथवा पिछड़ों को अलग से 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने को सही ठहराया, लेकिन कहा कि क्रीमी लेयर को लाभ की श्रेणी से बाहर रखा जाए। अब सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर कोर्ट की मुहर लग चुकी थी, लेकिन प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। सरकार ने संविधान में 77वां संशोधन कर उसे रोस्टर प्रणाली में शामिल कर दूसरा रूप दे दिया। प्रोन्नति में आरक्षण पर कोर्ट ने कहा कि यह छूट नहीं दी जा सकती। सरकार ने संविधान में 82वां संशोधन कर इसे भी लागू कर दिया। संविधान का 93वां संशोधन शिक्षा में आरक्षण की थ्योरी लेकर आया। इस बार भी कोर्ट ने आरक्षण को सही ठहराया, लेकिन क्रीमी लेयर की बहस जारी रही। अदालत जब क्रीमी लेयर को बाहर रखने के हक में थी तो क्रीमी लेयर का दायरा ही ढाई लाख से बढ़ा कर चार लाख रुपये सालाना आय कर दिया गया। विवाद निपटा नहीं है। इस फैसले के बाकी बचे विवादित मुद्दे अभी भी कोर्ट में लंबित है। अब धर्म आधारित आरक्षण की बात भी उठ गई है। सच्चर कमेटी ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिमों के आरक्षण की सिफारिश की तो रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग ने भी इसी आधार पर पिछड़े मुस्लिमों और ईसाईयों आदि को आरक्षण की वकालत कर विवाद को नया रूप दे दिया है। देश छह दशक बाद भी बराबरी की बहस में उलझा है और संविधान रहस्यमय ढंग से मौन है।

गहरी होती गई आरक्षण की जड़

- 1950 : संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश लागू हुआ जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण दिया गया।
- 1951 : सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त आदेश के पैरा तीन को असंवैधानिक ठहराया।
- 1951 : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संविधान में पहला संशोधन कर अनुच्छेद 15 में उप खंड (4) जोड़ा गया।
- 1963 : सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में पचास फीसदी की सीमा तय की।
- 1990 : ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश करने वाली मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू।
- 1992 : इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ओबीसी आरक्षण सही ठहराया।
- 1995 : संविधान का 77वां संशोधन, प्रोन्नति में आरक्षण लागू।
- 85वां संविधान संशोधन प्रोन्नति के साथ कांसीक्वेंशियल सीनियरिटी लागू।
- 2005 : सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं में राज्य आरक्षण के प्रावधान नहीं लागू कर सकता।
- 2005 : संविधान का 93वां संशोधन, शिक्षा में आरक्षण लागू करने का प्रावधान।
- 2006 : केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण लागू।
- 2008 : सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को सही ठहराया, लेकिन क्रीमी लेयर को बाहर रखने का आदेश दिया।

> ''आरक्षण कोई गुत्थी नहीं है। पिछले साठ साल से यह सिर्फ राजनीतिक खेल रहा है। कोई भी आरक्षण का विरोध नहीं करता, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसे इस तरह तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है कि विरोध प्रतीत होता है। राजनीतिक कारणों से ऐसा माहौल बनाया जाता है।''
>
> **-जस्टिस नागेन्द्र राय, पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज**

नेताजी की मौत का रहस्य देश आज तक नहीं जान पाया

नई दिल्ली। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कथित विमान हादसे में मारे गए, उनके साथ रूस में कोई हादसा हुआ या वे आजाद भारत में किसी साधु संन्यासी के वेश में छिपकर रहे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी रहस्यमय हैं। नेताजी की कथित मौत की जांच के लिए तीन-तीन आयोग बने। लेकिन देश के सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ।

मुखर्जी आयोग ने 2006 में संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में इस बात को खारिज कर दिया था कि नेताजी की मौत ताइवान विमान हादसे में हुई थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जापान के रेंकोजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की नहीं हैं। इस बारे में आगे जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने न्यायमूर्ति मुखर्जी की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया।

23 जनवरी 1897 को कटक में जन्मे इस महान क्रान्तिकारी के लापता होने के बारे में सच सामने न आने से आज भी उनके बारे में रहस्य बरकरार है। नेताजी के जीवन पर 'मृत्यु से वापसी नेताजी का रहस्य' नाम की पुस्तक लिखने वाले और सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से नेताजी से संबंधित फाइल की मांग करने वाले अनुज धर का कहना है कि इस विषय पर काफी शोध करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी की मौत नहीं हुई थी।

धर के मुताबिक उन्होंने खुद इस बारे में ताइवान के रिकार्ड खंगाले जिनसे पता चला कि 18 अगस्त 1945 को वहां कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। भारत सरकार जानती है। लेकिन सच छिपाए बैठी है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने आरटीआई के तहत सरकार से नेताजी से संबंधित फाइल के बारे में जानकारी मांगी तो पहले तो जवाब दिए जाने से इनकार किया जाता रहा। जब वे बार-बार अपील करते रहे तो जवाब मिला कि वह फाइल नष्ट हो गई है।

नेताजी के बारे में सच सामने लाने के लिए धन ने 'मिशन नेताजी' नाम से संगठन खड़ा किया। धर की शोध के मुताबिक नेताजी आजादी के काफी दिन बाद तक भारत में ही वेश बदलकर रहे। फैजाबाद के गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी से नेताजी की कहानी काफी मिलती-जुलती है।

धर ने कहा कि उन्होंने भगवानजी के बक्से से मिले हस्तलेखों की जांच जब विशेषज्ञों से कराई तो पता चला कि अंग्रेजी और बंगला में उनकी लिखी सामग्री नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की लिखावट से मिलती है। नेताजी के करीबी रहे बहुत से लोग गुमनामी बाबा से मिलने जाते थे। जब भी उनसे पूछा जाता कि आप दुनिया के सामने क्यों नहीं आते तो उनका जवाब होता कि मेरी वापसी राष्ट्रहित में नहीं है।

धर के मुताबिक बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि आजादी के समय शायद भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच ऐसा गुप्त समझौता हुआ जिसमें कहा गया कि यदि नेताजी वापस आए तो युद्धबंदी के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिए जायेंगे। यदि यह सही है तो हो सकता है कि नेताजी इसीलिए सामने नहीं आए। वैसे इस समझौते के उनके पास कोई सबूत नहीं हैं। सरकार ने सच सामने लाने के लिए मुखर्जी आयोग की मदद नहीं की। जांच कराने की बजाय उल्टा रिपोर्ट को ही नामंजूर कर दिया।

30 अप्रैल, 1998 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को नेताजी के बारे में समग्र जांच कराने के लिए एक आयोग गठित करने का निर्देश दिया था ताकि इस विवाद को हमेशा के लिख खत्म किया जा सके। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज मुखर्जी का एक सदस्यीय आयोग गठित किया। जांच पूरी होने के बाद आयोग की रिपोर्ट 17 मई 2006 को संसद में पेश की गई जिसमें कहा गया कि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन 1945 में विमान हादसे में उनकी मौत नहीं हुई थी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जापना के रेंकोजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की नहीं हैं। इसमें 1945 में नेताजी के रूप में कथित ठहराव पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। कहा कि इस मामले में आगे और जांच की जरूरत है। सरकार ने मुखर्जी आयोग की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। आजाद हिन्द फौज के सेनानी रामसिंह का भी यही मानना था कि नेताजी विमान हादसे में नहीं मारे गए। वे गुमनामी बाबा के रूप में भारत में बहुत दिनों तक रहे। नेताजी के डलहौजी प्रवास के बारे में 'जब आए थे सुभाष हिम के अंचल में' नाम की पुस्तक लिखने वाले हरेन्द्र श्रीवास्तव का कहना है कि अब रहस्य से शायद ही पर्दा उठ पाए। इसलिए बहस छोड़ नेताजी को अपने दिलों में महसूस किया जाए। नेताजी लोगों के दिलों में आज भी जिन्दा हैं।

2009 के कुछ और महत्वपूर्ण फैसले

समलैंगिकता को अपराध के दायरे से निकालना प्रमुख अदालती फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल वयस्कों के बीच परस्पर सहमति से एकांत में बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर निकाल कर समाज में बढ़ते खुलेपन के प्रति सहमति जताई। उपहार कांड के दोषियों को सजा और मायावती के बढ़ते मूर्ति प्रेम पर अंकुश लगाने के लिए अदालत के लिए गए कुछ सख्त कदम इस साल के प्रमुख अदालती फैसलों में शामिल रहे।

समलैंगिकता के हिमायतियों को एक बड़ी राहत देते हुए दो जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने वयस्कों के बीच परस्पर सहमति से एकांत में बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया और इसे अपराध करार देने वाले 149 साल पुराने कानून को बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन बताया। इसी तरह की एक अन्य ऐतिहासिक टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने नौ दिसम्बर को केन्द्र से कहा कि दंडात्मक कार्रवाई से विश्व के सबसे पुराने पेशे देह व्यापार पर पाबंदी लगाना अगर व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं हो तो क्या वेश्यावृत्ति को वैध बनाया जा सकता है।

जज दलबीर भंडारी और जज ए.के. पटनायक की पीठ ने सालीसीटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम से कहा कि महिलाओं की तस्करी को रोकने के लिए यौन व्यापार को वैध बनाना एक बेहतर विकल्प होगा। पीठ ने कहा कि दुनिया में कहीं भी दंडात्मक उपायों से इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकी।

रैगिंग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को चेतावनी दी कि अब समय आ गया है कि सरकार इस समस्या को रोकने में विफल रहने वाले संस्थानों की वित्तीय सहायता रोके।

30 मार्च को अदालत ने कथित रैगिंग के कारण आत्महत्या करने वाली एक छात्रा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए आंध्रप्रदेश सरकार को फटकार लगाई और हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज के एक पूर्व प्राचार्य को निलम्बित करने का आदेश दिया। इस कालेज में अमन कचरू नामक एक छात्र ने रैगिंग के कारण कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

अदालत ने 2002 में हुए गुजराती दंगों के नौ मामलों की सुनवाई पर लगी रोक हटाते हुए 30 अप्रैल को इनकी फास्ट ट्रैक अदालत में दिन प्रतिदिन आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया। अदालत ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को सुनवाई की संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करने का आदेश देते हुए उसे व्यापक अधिकार दिए। उत्तर प्रदेश में कांशीराम स्मारक पर निर्माण कार्य रोकने के आदेश के बावजूद निर्माण जारी रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने मायावती सरकार पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि अदालत के साथ कोई राजनीति न की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि स्मारकों के निर्माण का काम रोकने के उसके आदेश का उल्लंघन उच्च स्तर पर मिले आदेश से हुआ प्रतीत होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसम्बर को राजधानी के चर्चित उपहार सिनेमा कांड के पीड़ितों और उनके परिजनों को 5.14 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत देने का आदेश दिया। जून 1997 में हुए इस हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 103 लोग घायल हो गए थे।

लाटरी पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सात दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि लाटरियां बेचकर सरकार कौन-सा धंध कर रही है। जज दलवीर भंडारी और ए.के. पटनायक की पीठ ने लाटरी पर रोक लगाने के बारे में सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि लॉटरी बेचना सरकार का काम नहीं है। प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने पिछले साल मुम्बई में हुए आतंकी हमलों के व्यापक कवरेज की आलोचना करते हुए इस साल 21 नवम्बर को कहा कि इससे लोगों का गुस्सा भड़क सकता है और उनमें बदला लेने की तर्कहीन इच्छा पैदा हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 दिसम्बर को दाउद इब्राहिम के कथित सहयोगी रोमेश शर्मा को फैशन डिजाइनर कुंजुम बुद्धिराजा हत्याकांड में बरी कर दिया। उसे निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले साधारण कोटे के तहत दाखिले का विकल्प चुनने वाले आरक्षित कोटे के एक अभ्यर्थी को दूसरे दौर की काउंसिलिंग में शामिल होने का मौका देने से इनकार करने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। दिल्ली की एक अदालत ने सनसनीखेज धौला कुंआ बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए और एक मात्र गिरफ्तार अभियुक्त को 10 दिसम्बर को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ चलती कार में सामूहिक बलात्कार किया गया था।

भूमि हड़पने के आरोपों के चलते विवादों में घिरे कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी.डी. दिनकरन को सुप्रीम कोर्ट के चयन मंडल (कोलेजियम) ने सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति देने की अपनी अनुशंसा वापस ले ली। राज्यसभा में जज दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया।

विचाराधीन कैदी मुक्त होंगे

नई दिल्ली। केन्द्रीय विधि मंत्रालय मामूली अपराधों के लिए वर्षों से सजा काट रहे लोगों की निश्चित समय सीमा के अंदर रिहाई सुनिश्चित करके क्षमता से अधिक भरी देश की जेलों की भीड़ कम करेगा। मामूली अपराधों के लिए जेलों में बंद एक लाख 70 हजार से अधिक गरीब और निम्न तबके के विचाराधीन कैदी ऐसे हैं जो तंगहाली के कारण अपनी जमानत नहीं करवा पाते। इसके अलावा देश में करीब 15 सौ जेल हैं जिनकी क्षमता ढाई लाख है, उनमें चार लाख से अधिक कैदी हैं। केन्द्रीय विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन, न्यायाधीश अल्तमस कबीर और देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा है। मोइली ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस से इस योजना के क्रियान्वयन का मन बनाया है और ऐसे विचाराधीन कैदियों को जो मामूली अपराधों के लिए तय सजा या उससे अधिक सजा भुगत चुके हैं, उन्हें जुलाई के अंत तक रिहा करने का निर्णय किया है। मोइली ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से अपील की है कि वे जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को ऐसे मामलों को वरीयता के आधार पर निपटाने के निर्देश दें।

बेघरों को बसेरा दे सरकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाके की ठंड में दम तोड़ते बेघरों की खबरों को गंभीरता से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि राजधानी में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए वह बेघरों को सिर छिपाने के लिए बसेरा, कम्बल और पेयजल सुविधाएं मुहैया कराए। जस्टिस दलवीर भंडारी और के.एस. राधाकृष्णन की पीठ ने सरकार से यह भी कहा कि अगर राजधानी के 33 रैनबसेरों में पर्याप्त जगह नहीं है तो वह इन लोगों को इस्तेमाल में नहीं आ रही सरकारी इमारतों में भी ठहरा सकती है। अदालत ने पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर जनहित याचिका पर ये निर्देश दिए। याचिका में शिकायत की गई थी कि दिल्ली सरकार बेघरों और वंचितों के लिए भोजन और रैनबसेरे की मुनासिब व्यवस्था करने में नाकाम रही है।

सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हर किसी को संरक्षण मिलना चाहिए ताकि कड़ाके की ठंड से किसी की मौत न हो। इस पर प्राथमिकता के साथ तत्काल अमल होना चाहिए। अदालत ने सरकार को ऐसे बसेरों की उपलब्धता के बारे में इलेक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार के निर्देश भी दिए। याचिका में मीडिया में आई विभिन्न खबरों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया गया है कि राजधानी में कड़ाके की ठंड में बसेरे और भोजन के अभाव में कई लोगों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सालीसिटर जनरल मोहन प्रकाश ने अदालत को आश्वासन दिया कि बेघरों को सर्दी से बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। राजधानी की विभिन्न जगहों पर बेघरों के लिए रैनबसेरों के अलावा मोबाइल टायलेट की सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। बेघर-बेसहारा लोगों के बीच कम्बल वितरित किए गए हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि इस संबंध में कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेष बैठक भी बुलाई गई थी। अदालत में इस मामले की अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी।

यौन पर्यटन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में चल रहे सेक्स टूरिज्म (यौन पर्यटन) और बाल तस्करी को रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने एवं उसके प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा एक सप्ताह में तैयार करने के निर्देश केन्द्र सरकार को दिए। बाल तस्करी पर प्रभावी रोक को लेकर गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आन्दोलन की याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश दलवीर भण्डारी और न्यायाधीश ए.के. पटनायक की खंडपीठ ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इन समस्याओं पर लगाम लगाने के लिए एक प्रणाली विकसित करे और इसके क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करके न्यायालय को उससे अवगत कराए।

खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई 22 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा कि देश में यौन पर्यटन का बाजार बढ़ता जा रहा है और इसके निराकरण के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ऐसे उपाय किए जाने की जरूरत है जो न्यायिक रूप से भी प्रभावी हों। न्यायालय ने कहा कि जब इन समस्याओं पर रोक के लिए प्रभावी उपाय की बात की जाती है तो उसमें मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा-दीक्षा और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी शामिल होती हैं। सरकार को इस बात पर ध्यान रखना होगा कि बाल तस्करी से मुक्त कराए गए बच्चे फिर से इस पेशे में न पड़ जाएं।

शादी से नहीं बदलती महिला की जाति

एक महत्वपूर्ण फैसले में बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति या जनजाति में पैदा हुई महिला की शादी अगड़ी जाति के व्यक्ति से हो जाए तो इससे उसकी जाति नहीं बदल जाती। हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति या जनजाति में जन्म लेने के कारण महिला या पुरुष को अनायास ही जो नुकसान उठाना पड़ता है या अपमान झेलना पड़ता है उस पीड़ा से महज अगड़ी जाति में शादी कर लेने से नहीं बचा जा सकता। हाई कोर्ट ने यह नियमन स्थानीय निवासी राजेन्द्र श्रीवास्तव की याचिका जमानत की गुहार लगाई थी। उनकी पत्नी ने श्रीवास्तव और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, जाति के आधार पर भेदभाव और अत्याचार करने का आरोप लगाया है। अगड़ी जाति के श्रीवास्तव ने दलील दी थी कि चूंकि महिला ने उनसे शादी की है, इसलिए वह अत्याचार निरोधक कानून (पीपीए) के तहत संरक्षण की मांग नहीं कर सकती। उनका कहना था कि शादी के बाद महिला की मूल जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है और वह जिस जाति के पुरुष से शादी करती है, उसकी जाति का दर्जा प्राप्त कर लेती है। न्यायाधीश बी.एच. मार्लापल्ले, अभय ओका और आर.वाई. गंगू ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता की दलील मान ली जाए तो पीपीए कानून का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

अफसरों की ....

(पृष्ठ दो का शेष)

जब जनता सामूहिक रूप से निर्णय लेगी तो अधिकारियों के काम आइने की तरह दिखेंगे। स्वराज व सूचना का अधिकार के संबंध में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार स्वराज का ही एक हिस्सा है। स्वराज में सारी बातें सम्मिलित हैं। स्वराज का मतलब सरकारी पैसे, सरकारी अफसरों, संबंधित क्षेत्र के संसाधनों पर सीधे-सीधे जनता का अधिकार होना है। जबकि सूचना का अधिकार किसी विषय के बारे में सूचना मांगने से है।

केजरीवाल ने कहा कि 'स्वराज अभियान' की शुरूआत हरियाणा से की गई है। इसमें स्वामी अग्निवेश भी अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं से अपेक्षा है कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को स्वराज्य की फिल्म दिखाएं।

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ प्रकरण

राजस्थान जन सतर्कता समिति के प्रयासों को मिली सफलता

घोटालों की जांच के लिये उच्च स्तरीय कमेटी नियुक्त

jktLFkku [kknh xzkeks|kx laLFkk la?k ctkt uxj dks iVy ij fiNys vrjky esa ixV g;s vifjfer & iekf.kr vukpj.kka dh tkap ds fy;s MkbjsDV'sV vkQ [kknh dkjMhjs'ku us jkT; ds [kknh MkbjsDVj ,oa xzkeks|kx dks lfpr fd;k gS fd mUgksus mDr f'kdk;r dh tkap ds fy;s rhu lnL;ksa dh desVh fu;qDr dh gSA ge okLrfod fLFkfr ;gka ikBdksa ds fy, izLrqr dj jgs gS&

1- laLFkk dk laxBukRed vkj o/kkfud Lo:i

xk/kh n'ku iz.khr [kknh fopkj ls tqMh izns'k dh yxHkx 2 lks laLFkkvksa dk e/;orhZ laxBu ¼QMj'ku½ gSA laLFkkvksa ds izfrfu/kh lnL; gh blds lapkyd gSA fo/kku ds vuqlkj izthd`r laLFkk gksrs gq;s Hkh blds 0;oLFkk dUnh;dj.k ds :i esa izLFkkfir ugha gS ijUrq izns'k ds dqN iHkkoh [kknh urk vny cny dj ,d vkj [kknh deh'ku ds vf/kd`r iknf'kd vf/kdkjh curs jgs gSA vkj nlljh vkj laLFkk dh izc/k lfefr ds ek/;e ls inkf/kdkjh Hkh ogh ykx curs jgs gSA fo/kku ds vuqlkj ;s inkf/kdkjh rhu lky o"kZ gksus okys pqukoksa esa nks Ve ls T;knk ugha pqus tkus iko/kku gS ijUrq blds Hkh bu ykxksa us ikyu ugha fd;k gSA o"kZ 1999 ls 2008 rd lHkh inksa ij rhu VEl rd vf/kdkjh cus jgs gSA jpukRed izthd`r laLFkk gksus ds ukrs izc/k lfefr vkj mlds inksa esa [kus ds fj'rs ds ykx ugha gksus pkfg;s fdUrq mudk Hkh bUgksus dksbZ ikyu ugha fd;k gSA

2- lrdZrk lfefr fdUgha vukpj.kksa ds tkap djkus ds fy;s rRij u gksdj ek= laLFkk] [kknh deh'ku vkj e=h Lrj ij laLFkk ds vukpj.kksa dh tkap djk;s tkus tks fjikVsZ tkjh gbZ gS mudsa gh fuLrkj.k ds gh enns mBk;s g;s gSA ;Fkk

1- ejhuksa mu [kjhn forj.k dk.M

2- :bZ iw.kh [kjhn fcdh dk.M

3- dkexkj ikfoMUM Q.M dk.M

4- [kknh iz'kk/ku ds lkFk vU;kU; dk.M

3- iekf.kr dk.Mksa ds vykok cgqr ls dk.M fu.kZ; gks tkus ds ckn Hkh mu ij ifyl dk;okgh ugha gksukA rhu ,Q vkbZvkj ntZ djkus ds iLrko g;s gSA buesa ls doy igyh ,QvkbZvkj ntZ gbZ ftlds rgr Qktnkjh dsl esa ,d lekU; dk;drkZ dk lk<s pkj o"kZ dh tsy Hkh gbZ ijUrq v,vkbZvkj esa e=h dh vkj ls foHkkx ds eq[; lpkyd dk uke ,QvkbZvkj esa ntZ djk;k Fkk tks fdlh Hkh frdMe ls ,QvkbZvkj ls fudyok fn;k x;kA vkj vkifRr tru vk'p;Z ds fcUnq ;s gS fd bu iHkkoh ykxksa us laLFkk ds udlku dh olyh gqrq dkbZ nhokuh dk;okgh ugha dh gSA ejhuks ds mu lcls cMs 0;kikfjd o"kZ 1995&96 dk iqjk fjdkMZ Hkh vukpkfj;ks ds }kjk xqe djk fn;k x;k gSA ftldh ikflr ds dkbZ iz;kl ugha g;sA [kknh deh'ku ds iek.k i= lfefr ds fu;eku|kj iek.k i= lfefr dk fu;fer vkfMV gksuk iek.ki= uohuhdj.k ds fy;s vko';d gS fdUrq fiNys bl vrjky esa lkr o"kZ dk vkfMV ugha gksus ds ckn Hkh iek.ki= uohuhdj.k gksrk jgk gSA [kknh deh'ku ds iseq[k vkfMVjksa ds }kjk xHkhj fjikVsZ bl idj.k ij tkjh gbZ gS mudk fuLrkj.k Hkh vkt rd ugha gvk tcfd nlljh vkj vU; NksVh laLFkkvksa dh fiNyh vkfMV fjikVksZ dk iek.k i= ds uohuhdj.k ds fy;s fuLrkj.k gksuk vko';d ekuk x;k gSA bu ,rjktksa ds jgrs g;s Hkh [kknh deh'ku ds }kjk iu% iu% ejhuksa mu dk dke fn;k tkuk tkjh gSA bruk gh ugha mPp Lrj ij ;g vkt Hkh 0;Dr fd;k tkrk jgk gS fd ejhuksa mu ds 0;ogkj esa vkt Hkh /kM+ys ls fiNys vukpj.kksa dh iqujko`fr gksuk tkjh gSA

4- laLFkk ds LFkkiuk ds iFke rhl o"kksZ esa lnL; laLFkkvksa ds fgr esa bl QMj'ku ds }kjk 0;kid dke fd;s ftlds }kjk laLFkk la?k [kknh txr esa viuk fo'k"k LFkku cuk pqdk FkkA mlds ckn ds chl o"kksZ bu vukpj.kksa ds dkj.k gh laLFkk la?k ,d lkekU; laLFkk ds :i esa cnyrk tk jgk gSA laLFkkvksa dk fgr fpUru xkS.k gks x;k gSA izns'k ds t;iqj lfgr tks/kiqj] chdkusj] o mn;iqj] lEHkkxksa esa lkjk dke cUn dj fn;k x;k gS etnqj dkexkj cjkstxkj dj fn;s x;s gSA lEHkkxksa esa laLFkk dh djksMksa :i;ksa ds tehu tk;nkn dh lEifr;ksa fdjk;s ij ns nh xbZ gS tgka fdjk;snkjksa us vkilh feyh Hkxr ls yk[kksa yk[kksa dk fuekZ.k djkfy;s tkus ls lkjh lEifr;ka [krjs esa vkxbZ gSA ek= mudsa ux.; fdjk;s ls laLFkk ds dqN vo'k"k dk;ZdrkZvksa dk oru etnqjh fey jgh gSA ;fn ;g vk; :d tk; rks 'k"k vo'k"k dk;ZdrkZ Hkh lM+d ij vk tk;xsA

5- ;g iwxV djus esa Hkh dksbZ la'k; ugha gS fd bl xk/kh n'ku iz.khr laLFkku esa tks vukpkj g;s gS mudk [kknh deh'ku ds vud vf/kdkfj;ksa us vusd Lrjksa ij laj{k.k fn;k gSA vkj vkt Hkh ;g dke tkjh gSA dqN iseq[k ykx [kknh deh'ku ds vf/kd`r vf/kdkjh jgrs g;s Hkh bl laLFkk ds lapkyu dh jktuhfr esa viuh iHkkoh Hkwfedk fuHkk jgs gSA U;k; uhfr ds vuqlkj rks ;g nksgjh Hkwfedk mudh ugha gksuh pkfg;sA

6- lfefr dh igy ij eq[;e=h jktLFkku ds funZ'k ij jktLFkku ds [kknh xzkeks|kx foHkkx }kjk ,d o"kZ iwoZ bl laLFkk ij rRdky iHkko ls iz'kkld cBk dj xcu ?kkVkyksa dh fdlh Lora= ,tsUlh ds }kjk tkap djk;s tkus ds vkns'k funs'kd [kknh deh'ku t;iqj rFkk lfpo [kknh xzkeks|kx ckMZ t;iqj dks tkjh g;s FksA ftuds Lej.k i=ksa dh J`[kyk vkt Hkh tkjh gSA fdUrq funs'kkuq|kj mudk fdz;kUo;u vkt Hkh fdUrq ijUrq esa my> dj jg x;k gSA funs'kd [kknh deh'ku dgrs gS fd ,slk djuk mudsa vf/kdkj {k= esa ugha gSA jktLFkku [kknh ckMZ ds lfpo dk dguk gS fd laLFkk la?k mudsa fu;=.kk/khu ugha gSA vk'p;Z rks ;g gS fd tks xcu ?kkVkys g;s gS vkj tks vo/krk,s gbZ gS mUgsa fdlh Hkh Lrj udkjk gh ugha x;k cfYd [kknh deh'ku ds gh mPp vf/kdkfj;ksa ds }kjk mBk;s vkjksiksa dks lgh crk;k x;k gSA [kknh deh'ku cEcbZ ds ;gka ls Hkh vusd foHkkxh; Lrj ij vusdkusd ,D'ku Hkjs vkns'k tkjh g;s gS ijUrq ;s lHkh ,d nljh dh ftEenkjh ij Vkys tkrs jgs gSA

7- lrdZrk lfefr ds LFkkbZ lnL; ykd lsod@[kknh lsod Jh jken;ky [k.MsyokYk us bu vukpj.kksa ds 'kf) dj.k gsrq o"kkZsa ls vkokt mBkbZ tkrh jgh gSA lrdZrk lfefr us mu ij xbjkbZ ls tkap djkbZ tk dj vukpj.kksa dk lgh ik;k gSA ftuds fuLrkj.k gsrq gh lfefr vknksyujr gSA vukpj.kksa dh iekf.kr tkudkfj;ksa ds iek.kd [kknh deh'ku ds t;iqj lfgr cEcbZ ds vusd foHkkxksa esa iu% iu% Hkstus x;s gS blfy;s foLrkj ls fy[kus dh ;gka vko';drk ugha gS ;fn iLrkfor tkap lfefr pkgxh rks gj iekf.kr vukpj.k ds ennks ds iek.kd ekxus ij miyC/k djk;s tk ldrs gSA

पाठक की पीड़ा

मजिस्ट्रेट कोर्टों द्वारा निरर्थक वाद 10-15 वर्षों तक जारी रखने के कारण राजकोष को क्षति तथा वादों की संख्या बढ़ती है एवं न्यायपालिका की छवि धूमिल होती है:-

भारतीय शीर्ष न्यायालय का कोलेजियम गलती करता है हाई कोर्टस न्यायनिति के विपरीत निर्णय करते हैं तो निचली अदालतें व्यवर्थवाद 10-15 वर्ष तक लम्बित रखे तो इसमें कौनसी बड़ी बात है। कहने का मतलब भारतीय न्यायपालिका में गलती त्रुटी के नाम पर बड़े-बड़े जुलम हो रहे हैं। बड़ी अदालत गलती करे तो त्रुटि है और छोटी अदालत बड़ी गलती करे तो वह भी गलती है। कहने का मतलब है कि व्यर्थ वादों को जारी रखना न्यायपालिका का काम हो गया है। न्यायपालिका में त्रुटि को स्वीकारा गया है। भूल है गलती के लिए भी प्रत्येक जज जिम्मेदार है व नैतिक कार्यवाही का भागी बन जाता है। आज भी मजिस्ट्रेट कोर्टों में अनेक व्यर्थ वाद 10-15 वर्षों से लम्बित हैं और न्यायपालिका में स्टाफ की कमी बताकर अपने कर्त्तव्य से बच रहा है। जबकि आज समय है व्यर्थ वादों को त्वरित गति से निपटाने का ताकि व्यर्थ वादों की संख्या न बढ़े। राज कोष को क्षति न हो तथा विश्व में भारतीय न्यायपालिका की तौहीन न हो। न्यायपालिका में अकुशल नेतृत्व के कारण प्रलोभन, निर्णय में देरी, पत्रकारों को प्रताड़ना आदि बरकरार है। न्याय ही ईश्वर की भावना न्यायाधीशों में नहीं है।

सत्यमेव जयते।।

परामर्श मण्डल न्यायिक ज्वाला

1.	श्री जे.पी. बंसल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2.	श्री दामोदर मिश्रा	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3.	श्री वी.के. अग्रवाल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4.	श्री आर.पी. नाग	सेवा निवृत्त महानिरीक्षक राजस्थान पुलिस
5.	डा. मोहिनी शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6.	श्री के.सी. सेठी	एडवोकेट सुप्रीमकोर्ट
7.	श्री दिनेश अत्री	एडवोकेट
8.	श्री वी.एन. सक्सेना	एडवोकेट

पाक्षिक न्यायिक ज्वाला

आजीवन	: रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	: रू. 100/-
मासिक	: रू. 10/-
एक प्रति	: रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।